भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 856

05 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्नातकोत्तर आयुवद चिकित्सक

856. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सकों को शल्यक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करने का अनुमति देने के निणय पर चिकित्सा कर्मियों द्वारा हाल ही म हड़ताल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह के निणय के पीछे क्या तक है;

(ग) क्या इस प्रकार के निणय से किसी भी सजिकल पृष्ठभूमि के बिना शल्यक्रिया की अनुमति देते समय रोगी के जीवन को खतरे म डालने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस निणय पर आईएमए द्वारा उठाए गए विषयों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह अथवा उठाए जा रहे ह?

उत्तर

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क): आईएमए द्वारा 8 दिसम्बर, 2020 को हड़ताल की गई थी।

(ख): यह अधिसूचना 2016 के पहले से मौजूद विनियमों के संगत प्रावधानों का स्पष्टीकरण है। आरंभ से ही, शल्य (सामान्य शल्य चिकित्सा) और शालक्य (आंख, कान, नाक, गला, सिर, ओरो-डेन्टिस्ट्री के रोग) आयुवद कॉलेजों म स्वतंत्र विभाग है जहां ऐसी शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं होती ह। जबकि 2016 की अधिसूचना म निर्धारित किया गया था कि छात्र संबंधित विशेषज्ञता म जांच प्रक्रियाओं, तकनीकों और प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन के शल्य चिकित्सा निष्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त करगे, इन तकनीकों, प्रक्रियाओं और शल्य चिकित्सा के निष्पादन के ब्यौरे सीसीआईएम द्वारा जारी संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पाठ्यचया म निर्धारित किए गए थे न कि विनियम म। मौजूदा स्पष्टीकरण सीसीआईएम द्वारा विनियम म उक्त विवरण को शामिल करने के लिए पूरे जनहित म जारी किया गया था।

(ग) और (घ): जी नहीं। शल्य (सामान्य शल्य चिकित्सा) और शालक्य (आंख, कान, नाक, गला, सिर, ओरो-डेंटिस्ट्री के रोग) विभागों के स्नातकोत्तर विद्वान पूरे स्नातकोत्तर अवधि में ऐसी शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए प्रशिक्षित होते हैं क्योंकि यह उनके पाठ्यचर्या का हिस्सा होते हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 19 नवंबर, 2020 को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियमावली, 2016 द्वारा अधिसूचित शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के समय इन पद्धतियों के स्नातकोत्तर विद्वान मानक प्रोटोकॉल और प्रक्रिया (शल्य चिकित्सा पूर्व, शल्य चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपरांत) का सख्ती से अनुसरण करते हैं ताकि संबंधित रोगी के स्वास्थ्य, सुरक्षा और शल्य चिकित्सा उपरांत परिचर्या को सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ): शंकाओं को दूर करने के लिए, मंत्रालय द्वारा 22 नवंबर, 2020 को पीआईबी के माध्यम से विस्तृत रूप से अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए हैं जो **संलग्नक** पर है।

****

संलग्नक

आयुष

इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (आयुर्वेद शिक्षा में स्नातकोत्तर) संशोधन नियमन 2020 के संबंध में स्पष्टीकरण

पीआईबी, दिल्ली द्वारा 22 नवम्बर, 2020 को अपराह्न 3:56 बजे पोस्ट किया गया।

भारतीय चिकित्सा को आयुर्वेद, सिद्ध सोवा-रिग्पा और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का नियमन करने वाली वैधानिक संस्था सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) ने नियमों के कुछ प्रावधानों को कारगर बनाने के लिए और उसमें स्पष्टता लाने और परिभाषा जोड़ने के लिए 20 नवम्बर, 2020 को एक अधिसूचना जारी की।

आयुष मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अधिसूचना के संबंध में कुछ गलत रिपोर्ट आई हैं जिससे इसकी प्रकृति और उद्देश्य के बारे में गलत जानकारी का प्रसार हुआ है। इन गलत रिपोर्टों से उत्पन्न आशंकाओं को दूर करने के लिए मंत्रालय अब निम्न स्पष्टीकरण जारी कर रहा है। जिसमें इस पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया गया है।

1. इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) नियमन संशोधन 2020 के बारे में अधिसूचना में क्या कहा गया है?

अधिसूचना आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा की शल्य और शालाक्य धाराओं के संबंध में है। अधिसूचना में कहा गया है (इस विषय में पूर्व अधिसूचना से अधिक स्पष्ट रूप से) कि स्नातकोत्तर डिग्री की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को कुल 58 सर्जिकल प्रक्रियाओं में व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है ताकि शिक्षा पूरी करने के बाद वे इन गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने के योग्य हो जाएं। अधिसूचना विशेष रूप से इन निर्दिष्ट सर्जिकल प्रक्रियाओं के बारे में है और किसी अन्य प्रकार की सर्जरी करने की इन शल्य और शालाक्य स्नातकोत्तर पास छात्रों को अनुमति नहीं देती।

2. **क्या उक्त अधिसूचना आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा सर्जिकल प्रक्रियाओं के अभ्यास के मामले में नीतिगत बदलाव का संकेत देती है?**

नहीं, यह अधिसूचना 2016 के पहले के मौजूदा नियमों में प्रासंगिक प्रावधानों का स्पष्टीकरण है। शुरुआत से ही, शल्य और शालाक्य सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए आयुर्वेद कॉलेजों में स्वतंत्र विभाग है। हालांकि 2016 की अधिसूचना में यह निर्धारित किया गया था कि सीसीआईएम द्वारा जारी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए जारी संबंधित सिलेबस के तहत छात्र को संबंधित प्रक्रिया में प्रबंधन की जांच प्रक्रियाओं, तकनीकों और सर्जिकल प्रदर्शन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन तकनीकों, प्रक्रियाओं और सर्जिकल प्रदर्शन का विवरण सीसीआईएम ने किया है नियमन में नहीं। सीसीआईएम ने नियमन के संदर्भ में यह विवरण जारी कर जनहित में यह स्पष्टीकरण जारी किया है यह किसी नीतिगत बदलाव का संकेत नहीं।

3. **उक्त अधिसूचना में आधुनिक शब्दावली के उपयोग को लेकर विवाद क्यों है?**

मंत्रालय को उक्त अधिसूचना में आधुनिक शब्दावली के उपयोग के बारे में कोई टिप्पणी या आपत्ति नहीं मिली है, और इसलिए इस तरह के किसी भी विवाद के बारे में पता नहीं है।

हालांकि, यह स्पष्ट है कि मानकीकृत शब्दावली सहित सभी वैज्ञानिक प्रगति संपूर्ण मानव जाति की विरासत है। किसी भी व्यक्ति या समूह का इन शब्दावली पर एकाधिकार नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक शब्दावली, एक अस्थायी दृष्टिकोण से आधुनिक नहीं है, लेकिन ग्रीक, लैटिन और यहां तक कि प्राचीन संस्कृत और बाद में अरबी जैसी भाषाओं से काफी हद तक व्युत्पन्न है। शब्दावली का विकास एक गतिशील और समावेशी प्रक्रिया है। आधुनिक चिकित्सा शब्द और शब्दावली न केवल चिकित्सकों के बीच, बल्कि जनता सहित अन्य हितधारकों के लिए भी प्रभावी संचार और पत्राचार की सुविधा प्रदान करती है। इस अधिसूचना में आधुनिक शब्दावली इसलिए इस्तेमाल की गई है ताकि चिकित्सा के पेशे में समग्र रूप से, इसके अलावा मेडिको लीगल तथा हेल्थ आईटी आदि हितधारक सदस्यों के लिए इसे सुनिश्चित किया जा सके।

4. **क्या उक्त अधिसूचना में आधुनिक शब्दावली के इस्तेमाल से आयुवद का परम्परागत (मॉडन) चिकित्सा के साथ मिश्रण कर दिया गया है?**

बिल्कुल नहीं, सभी आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी संचार और पत्राचार को सुविधाजनक बनाना है। उक्त अधिसूचना के हितधारकों में न केवल आयुवद चिकित्सक शामिल है, बल्कि मेडिको-लीगल, हेल्थ आईटी, बीमा आदि जैसे अन्य हितधारक विषयों के पेशेवरों के साथ-साथ जनता के सदस्य भी शामिल है। इसलिए आधुनिक शब्दावली के उपयोग की आवश्यकता थी। पारंपरिक (आधुनिक) चिकित्सा के साथ आयुवद के "मिश्रण" का सवाल यहां नहीं उठता क्योंकि सीसीआईएम भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, और ऐसे किसी भी "मिश्रण" के खिलाफ है।

एमवी/एसके

(रिलीज आईडी: 1674881)